क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in

बैठक कार्यवृत्त (मिनट्स ऑफ़ मीटिंग)

स्थान: जिला कलक्टर कार्यालय सभागार , भीलवाड़ा
दिनांक: 16.09.2025
विषय: भीलवाडा जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों विशेष रूप से कपडा प्रोसेसिंग उद्योगों द्वारा प्रदूषण की समस्या के संबंध में चर्चा करने हेतु समिति की बैठक |

पृष्ठभूमि- राजस्थान विधान सभा की 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के दौरान श्री उदय लाल भडाना माननीय विधायक, मांडल द्वारा वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट जल निस्तारण का मुद्दा (प्रश्न संख्या 3959) उठाया गया। इस विषय में आश्वासन देते हुए श्रीमान संजय शर्मा, माननीय मंत्री वन, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार) , राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में चार सदस्सीय जाँच समिति गठित कर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अन्य सम्बंधित पक्षों से चर्चा करते हुए नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी । इस क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार, द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.08.2025 के माध्यम से निम्नुसार चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

समिति के सदस्य

1. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ।
2. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, भीलवाड़ा ।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, भीलवाड़ा ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भीलवाड़ा (सदस्य सचिव) ।

जिला स्तरीय जाँच कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 16.09.2025 को आहुत की गयी, जिसमे समिति के नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्न जन प्रतिनिधियों को भी सादर आमंत्रित किया गया |

आमंत्रित सदस्य

1. श्री दामोदर अग्रवाल, माननीय सांसद, भीलवाड़ा ।
2. श्री जब्बार सिंह सांखला, माननीय विधायक, आसिंद ।
3. श्री लादूलाल पितलिया, माननीय विधायक, सहाड़ा ।
4. श्री उदय लाल भडाना, माननीय विधायक, मांडल ।
5. श्री अशोक कोठारी, माननीय विधायक, भीलवाड़ा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Dhanetwa
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2025.09.24 17:13:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17971895
eSign 1.0

6. श्री आर के जैन , महासचिव, मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI), भीलवाड़ा (औधोगिक इकाइयों के प्रतिनिधि) ।

<u>**बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु**</u>

1. चर्चा के आरम्भ में सभागार में उपस्थित उक्त चारो माननीय विधयाको के अतिरिक्त उपस्थित माननीय विधायक मांडलगढ़ माननीय ,विधायक जहाजपुर माननीय ,विधायक शाहपुरा द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी कि, इस समिति में हमें भी सम्मिलित किया जाए । **श्रीमान जिला कलक्टर महोदय** द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB को निर्देशित किया गया कि, कपडा फैक्ट्री (Process Houses) भीलवाड़ा, मांडल , आसिंद व सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैं, परन्तु इनके अपशिष्ट जल से मांडलगढ़, जहाजपुर एवं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। अतः सभी माननीय विधायकों को समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाये ।
2. **बैठक को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,** भीलवाड़ा द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से समिति को, औद्योगिक इकाइयों द्वारा वर्तमान औद्योगिक अपशिष्ट को निस्तारण करने के लिए में अपनाई जा रही पद्धति के बारे में अवगत कराया तथा वर्तमान में आ रही कुछ समस्या जेसे कुछ उद्योगों द्वारा दूषित जल को टैंकर एवं छिड़काव के माध्यम से निस्तारित करना इत्यादि है । इसके अतिरिक्त बरसात के समय इकाइयों से बाहर पानी छोड़े जाने की समस्या भी यदा-कदा पाई गयी है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मंडल द्वारा निगरानी के लिए वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों के साथ साथ 2023 से आज दिनांक तक दोषी इकाइयों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही/अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से सम्बंधित जानकारी साझा की गयी ।
3. **माननीय विधायक श्री उदय लाल भडाना** ने अवगत कराया कि, इकाइयों के भीतर स्थित बोरवेल्स में दूषित जल डाला जा रहा है, जिससे किसानों की भूमि व कुओं का पानी प्रदूषित हो रहा है। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB ने आश्वासन दिया कि सभी इकाइयों के बोरवेल्स के पानी जांच की जांच कर ऐसे बोरवेल चिन्हित कर दोषी इकाई को बंद करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
4. **इस क्रम में माननीय सांसद श्री दामोदर अग्रवाल** ने निर्देशित किया कि, सभी इकाइयों में उच्छिष्ट संयत्र स्थापित हैं, परंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि, वे पूर्ण दक्षता एवं क्षमता से कार्य कर रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सांसद महोदय द्वारा इकाई रीको हमीरगढ़ स्थित M/s Sarvodaya India Limited पर अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को अनुचित एवं पक्षपात पूर्ण कार्यवाही बताया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Dhanetwal
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2025.09.24 17:13:36 IST
Reason: Approved

- इस पर **क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB** ने माननीय सांसद महोदय को समस्त तथ्यों से अवगत करते हुए अवगत किया कि, यह क्षतिपूर्ति 02.08.2024 एवं 03.09.2024 को मंडल को प्राप्त शिकायतों एवं नियमित जांच की रिपोर्ट के आधार पर शून्य निश्राव की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने के कारणों से अधिरोपित की गई थी, एवं उस दिनांक तक इकाई का नया ETP प्रारम्भ नहीं हुआ था एवं निर्माणाधीन स्थिति में था। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि, उक्त समस्त कार्यवाही की संपूर्ण वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी की गयी थी जिसके आधार पर मंडल मुख्यालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि तय कर उसके पश्चात अधिरोपित की गयी।

5. **माननीय विधायक मांडल, श्री उदयलाल भडाना,** द्वारा उपस्थित सदन को अवगत करवाया कि प्रोसेस हाउस इकाइयों द्वारा पाइपलाइनों एवं अन्य संरचनाओं के माध्यम से नालों एवं नदियों में काला पानी(दूषित जल) छोड़ा जा रहा है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि, जिन इकाइयों द्वारा काला पानी (दूषित जल) छोड़ा जा रहा है उनकी जानकारी वे उपलब्ध कराएँगे, उन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि, उपस्थित माननीय सांसद महोदय एवं समस्त माननीय विधायको से संपर्क कर उनके द्वारा चिन्हित की गयी समस्त दोषी इकाइयों की सूची ली जाकर उनपर कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।
6. **क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि, हाल ही में कुछ प्रकरण ऐसे आये है जिसमे कुछ अज्ञात इकाइयों विशेषकर चित्तोरगढ़ रोड स्थित इकाइयों द्वारा टैंकर के माध्यम से दूषित जल डालने की शिकायत प्राप्त हुई है एवं सत्यापित भी हुई है परन्तु इस तरह की इकाई चिन्हित नहीं की जा सकी क्यूंकि यह टैंकर हाईवे पर रात के समय इस तरह की गतिविधि करते है एवं मंडल के सतर्कता दल द्वारा उन्हें पकड़ा जाना संभव नहीं हो पाता।**
7. **इस क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया कि, इस क्रम में पुलिस विभाग को हाईवे पर रात के समय औचक निरीक्षण करने हेतु आदेशित करने का श्रम करावे।** जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, इस बाबत पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देशित किया गया कि, इस तरह की गतिविधि पायी जाने पर सम्बंधित पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही कर समिति को सूचित करे। इस पर उपस्थित माननीय सांसद महोदय एवं सभी माननीय विधायको द्वारा सहमति जताई गयी।
8. **इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि, इकाइयों के औचक निरीक्षण हेतु मंडल के सतर्कता दल के अतिरिक्त 3-4 सदस्यों के छोटे दल भी बनाये जाए एवं प्रत्येक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Dhanetwal
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2025.09.24 17:13:36 IST
Reason: Approved

दल में मंडल का एक अधिकारी एवं अन्य अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नामित रहेंगे जो अन्य विभागों से सम्बंधित होंगे एवं उक्त दलों द्वारा इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और शर्तो के उल्लंघन पर इकाइयों को बंद करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

9. जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि, यदि किसी इकाई द्वारा कोई पक्का निर्माण कर दूषित जल नाले अथवा नदी में निश्रावित किया जा रहा है तो प्रशासन को सूचित कर जाब्ता लेकर उसे तुडवाना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त ऐसे निश्रव की आशंका है एवं पक्का निर्माण नहीं है तो उसे भी नियमानुसार बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
10. चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को संदेहास्पद स्थान जहाँ पर इकाइयों द्वारा निश्राव की सम्भावना बनी रहती है, उनको चिन्हित कर उन पर निगरानी हेतु सुदृढ़ कण्ट्रोल रूम की स्थापना की जाए एवं उन स्थानों पर CCTV लगाये जाए और मोनिटरिंग की जाए । इस क्रम में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को इस बाबत एक प्रस्ताव बनाकर पेश करने हेतु निर्देशित किया एवं उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यह आम सहमती बनी कि उक्त हेतु वित्तीय स्वीकृति DMFT द्वारा जारी कर दी जायेगी ।
11. **इकाई प्रतिनिधियों का पक्ष रखने हेतु मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) के प्रतिनिधि श्री आर के जैन द्वारा** अवगत कराया कि, प्रत्येक इकाई में ETP, 3-stage , 4 Stage RO, MEE तथा ATFD स्थापित हैं जो दक्षता से कार्य कर रहे हैं।

- उन्होंने कहा कि उद्योगों के विरुद्ध अनावश्यक माहौल बनाया जा रहा है और कुछ तत्वों द्वारा हफ्ता वसूली की मांग की जा रही है।
- उन्होंने यह भी बताया कि भीलवाडा में स्थित उद्योग ETP तथा RO की तकनीक को लगातार उन्नत कर रहे हैं और अब RO Reject का निस्तारण MEE तथा ATFD से किया जा रहा है । उन्होंने निवेदन किया की कमेटी के सदस्य, एक बार कमेटी राज्य के, एक बार राज्य के अन्य जिलो यथा पाली, बालोतरा, जोधपुर इत्यादि जो कि टेक्सटाइल हब है, उनका भी दौरा करे, भीलवाडा के उद्योग नियमो की पालना कर बेहद व्यवस्थित तरीके से effluent का उपचार कर उद्योग का सञ्चालन कर रहे है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Dhanetwa
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2025.09.24 17:13:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17971895

eSign 1.0

12.**आम सहमति से निम्न बिन्दुयो पर सहमति बनायीं गयी -:**

- माननीय सांसद एवं समस्त माननीय विधायको से संपर्क एवं परामर्श कर उन इकाइयों की सूची तैयार की जाए जो अनुपचारित जल छोड़ रही हैं। यह भी उल्लेखित किया जाए कि जल छोड़ने का स्रोत अस्थायी है या स्थायी जैसे पाइपलाइन)। के माध्यम से नालों अथवा नदियों में
    - अस्थायी संरचनाओं के मामले में नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
    - स्थायी संरचनाओं के मामले में तुरंत ध्वस्तीकरण कराया जाए, आवश्यक सुरक्षा व बल /जाब्ता प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- औचक निरीक्षण (Sudden Inspection) हेतु छोटे छोटे जाँच दल गठित किये जायेंगे, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासन की तरफ से नियुक्त होंगे। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधि सहित 4 टीम बनाई जाएंगी, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी/पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे।
- यदि कोई इकाई शर्तो का उल्लंघन करती पाई जाती है तो तुरंत Consent to Operate प्रत्याहारित कर (Revoke) इकाई को बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- इकाइयों की बेहतर निगरानी हेतु एक कण्ट्रोल रूम स्थपित करने हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाए जिसमे CCTV कैमरा लगाना इत्यादि शामिल है एवं उक्त हेतु वित्तीय स्वीकृति DMFT फण्ड द्वारा जारी की जायेगी।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई |

(दीपक धनेटवाल)

सदस्य सचिव - संयुक्त समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Dhanetwal
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2025.09.24 17:13:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17971895

eSign 1.0

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in

LiFE Lifestyle for Environment

रा. प्र. नि. मं/क्षे. का. भीलवाडा /सामान्य -13/राज-काज- संख्या दिनांक :- **24.09.2025**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित है :–

१. श्रीमान सचिव महोदय , माननीय राज्यपाल महोदय , राजस्थान सरकार, जयपुर ।

२. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

३. निजी सचिव महोदय, माननीय वन, पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय , राजस्थान सरकार, जयपुर ।

४. माननीय सांसद महोदय , भीलवाडा ।

५. माननीय विधायक महोदय ,जहाजपुर/ आसींद / मांडलगढ़/ सहाडा/मांडल / शाहपुरा/भीलवाडा।

६. श्रीमान संयुक्त सचिव महोदय , मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

७. निजी सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

८. निजी सचिव महोदय ,श्रीमान अध्यक्ष महोदय , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर ।

९. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय , राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर ।

१०.निजी सचिव महोदय ,श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, उद्योग विभाग , राजस्थान सरकार, जयपुर ।

११.निजी सचिव महोदय ,श्रीमान शासन सचिव महोदय , कृषि विभाग , राजस्थान सरकार, जयपुर ।

१२.श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा ।

१३.श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, भीलवाडा ।

१४.श्रीमान महाप्रबंधक महोदय , जिला उद्योग केंद्र भीलवाडा ।

१५.श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय , कृषि विभाग , भीलवाडा ।

१६.महासचिव महोदय , मेवाड़ चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज , भीलवाडा ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Dhanetwa
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2025.09.24 17:13:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17971895

eSign 1.0